आदेश पर बारे में टिप्पणी तारीख

<u>उपायुक्त का न्यायालय, दुमका</u>

RMA (PAA) **38/2021–22**

हारेन्द्र प्रसाद राय...अपीलकर्त्ता।

बनाम

गोविन्द राय...उत्तरकारी।

<u>आदेश</u>

07.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपीलवाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–75/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–01.04.2021 के विरूद्ध दायर किया गया ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अन्तर्गत प्रधानी मौजा में उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्त करने का प्रावधान है जो निम्न प्रकार उदृत है :–

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

अभिलेख में उपलब्ध अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी, जामा के पत्रांक–410/रा0 दिनांक–07.10.2020 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के सच्ची प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता मौजा के पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है, किन्तु वह पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है जो कि एक पूर्णकालिक कार्य है तथा उक्त के लिए अलग से "Consideration"/मानदेय पूर्व निर्धारित है। उक्त से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता पूर्णकालिक प्रधान के रूप में सेवा नहीं दे पायेंगे।

इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व प्रधान के द्वितीय पुत्र अपीलकर्त्ता के कनिष्ठ भाई को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो सही प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अंगीकृत विन्दु में ही खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:46:53 +05:30
Location: 169.254.227.244